

उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या- 49/1396/बयालिस-2015-103/एस0पी0/73टी0सी0।।

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2015

शुद्धि पत्र

खेल विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्रीडागनों, कमरों तथा तरणताल आदि के निःशुल्क आवंटन/आरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1209/बयालिस-2015-103/एस0पी0/73 टी0सी0।।, दिनांक 19 मई, 2015 के प्रस्तर-2 के क्रमांक(3) में त्रुटिवश मान्यता प्राप्त खेल संघों के स्थान पर शासन के खेल संघों टंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश के क्रमांक-3 पर शासन के खेल संघों के स्थान पर मान्यता प्राप्त खेल संघों पढा जाये।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- 49/1396(1)/2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।